अनुदान संख्या 10 – कोयला मंत्रालय
GRANT No. 10 - MINISTRY OF COAL

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	770,91,00	781,85,00	708,34,77	-73,50,23
पूरक	Supplementary	10,94,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				73,37,18

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में कुल बचतें (₹7350.23 लाख) फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹1094.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गई और कुल स्वीकृत प्रावधान का 9 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/ हुआः–

Notes and comments

1. In the grant, the overall savings (₹7350.23 lakhs) exceeded the supplementary grant of ₹1094.00 lakhs obtained in February, 2019 and constituted 9 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2803"	Major Head "2803"				
कोयला और लिग्नाइट	Coal and Lignite				
मू.	O.	65367.00			
पू.	S.	1093.00	66369.95	66364.35	-5.60
पु.	R.	-90.05			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	7100.00			
पू.	S.	1.00	...	...	...
पु.	R.	-7101.00			

(I) ₹7101.00 लाख का प्रावधान (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से मुख्य शीर्ष "2552" – "कोयला और लिग्नाइट – अन्य व्यय" के अंतर्गत ₹7045.00 लाख – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(का) "क्षेत्रीय अन्वेषण" – ₹3000.00 लाख; और

खा) "विस्तृत वेधन" – ₹4045.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान कोयला कम्पनियों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में कार्यान्वित की जाने वाली किसी भी स्कीम के अस्तित्व में न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2803" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(का) "निदेशन और प्रशासन – सांविधिक निकाय, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय" – ₹535.11 लाख की बचत (₹1467.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कम चिकित्सा दावे प्राप्त होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(खा) "कोयला तथा लिग्नाइट कंपनियों को सहायता – कोयला खानों में संरक्षण सुरक्षा और अवसंरचना विकास" – ₹1005.00 लाख की बचत (₹19095.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप – योजना – कोयला तथा कोक पर उपकर (उत्पाद शुल्क) के संग्रहण के लिए भुगतान" – ₹750.00 लाख की बचत (₹900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कोयला कंपनियों से दावों की प्राप्ति न होने तथा कम प्रस्ताव मिलने के कारण हुईं।

(I) Provision of ₹7101.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) remained wholly unutilized under four heads; of these ₹7045.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - "Coal and Lignite – Other Expenditure" - under the following heads:-

(A) "Regional Exploration" – ₹3000.00 lakhs; and

(B) "Detailed Drilling" – ₹4045.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilized due to non-existence of any scheme to be implemented in North Eastern Region and Sikkim by the coal companies.

(II) Under Major Head "2803" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Direction and Administration - Statutory Bodies, Attached and Sub-ordinate Office" - saving of ₹535.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1467.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less medical claims and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(B) "Assistance to Coal and Lignite Companies - Conservation Safety and Infrastructure Development in Coal Mines" - saving of ₹1005.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19095.00 lakhs); and

(C) "Tribal Area Sub-Plan - Payment against collection of cess (excise duty) on coal and coke" - saving of ₹750.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹900.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of claims from coal companies and receipt of less proposals.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹2194.46 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष – "2803" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत ₹1094.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(I) "अनुसंधान तथा विकास – अन्य स्कीमें" – ₹384.00 लाख।

(II) "अन्वेषण तथा विस्तृत वेधन – कोयला तथा लिग्नाइट का अन्वेषण" – ₹1060.46 लाख।

(III) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – विस्तृत वेधन" – ₹750.00 लाख।

2. The above savings were partly (₹2194.46 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹1094.00 lakhs under Major Head – "2803" - under the following heads:-

(I) "Research and Development - Other Schemes" - ₹384.00 lakhs.

(II) "Exploration and Detailed Drilling – Exploration of Coal and Lignite" – ₹1060.46 lakhs.

(III) "Tribal Area Sub-Plan – Detailed Drilling" – ₹750.00 lakhs.